## <u>न्यायालय—सिविल न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)</u> (पीठासीन अधिकारी—धन कुमार कुडोपा)

<u>व्यवहार वाद क0-14ए/2016</u> <u>संस्थापित दिनांक-04.04.2016</u> फाईलिंग नं. 233504000232016

- बिहारी पिता जंगल उईके, उम्र 55 वर्ष, जाति गोंड, नि०ग्राम—सेमरियाजोशी, तह0—आमला, जिला बैतूल म०प्र०।
- 2. शिवजी पिता जंगल उईके, उम्र—41 वर्ष, जाति गोंड, नि0ग्राम—बारंगवाड़ी, तह0—आमला, जिला बैतूल म0प्र0।
- रामकली पित धान्दू, उम्र–50 वर्ष, जाति गोंड, नि0ग्राम–सेमिरया, तह0–आमला, जिला बैतूल म0प्र0।

---- <u>वादिनीगण</u>

## <u> —ः विरूद्ध ः-</u>

- 1— रूपवती पित चरणलाल यादव उम्र 50 वर्ष, जाति गौली, नि0 ग्राम—बारंगवाड़ी, तह0—आमला, जिला बैतूल म0प्र0।
- 2- म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, बैतूल, जिला बैतूल म0प्र0।

----प्रतिवादीगण

वादीगण द्वारा :: श्री वामनराव डोंगरे अधिवक्ता।
प्रति0कं. 2 पूर्व से एकपक्षीय।
प्रति0कं.1 द्वारा :: श्री चरणजीतसिंह अरोरा अधिवक्ता।

—ःः आदेश ःः— (आज दिनांक 21.12.2016 को पारित)

इस आदेश द्वारा वादी की ओर से प्रस्तृत आवेदन आदेश-39, नियम-1 व 2 सहपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का निराकरण किया जा रहा है। वादीगण का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि शंकर पिता सुरज जाति गौली निवासी बारंगवाड़ी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि खसरा नं. −666 / 1 रकबा 0.694 तथा 669 / 1 रकबा 0.925 है0 कुल रकबा 1.619 भूमि मौजा बांरगवाड़ी प०ह०नं० 13 रा०नि०मं० आमला, तह० आमला, जिला बैतूल म०प्र० में स्थित है। खसरा नं. 666 / 1 रकबा 0.694 भृमि में से उत्तर दिशा की 0.405 हे0 भुमि विक्रय करने का सौदा शंकर द्वारा उसके जीवनकाल में उसकी बिमारी के ईलाज में पैसों की आवश्यकता होने पर वादीगण से किया परन्तु शंकर की अचानक मृत्यू होने के कारण शंकर की पत्नी कर्रेबाई बेवा शंकर यादव द्वारा उसके पति द्वारा किये गये सौदे अनुसार दिनांक 04/03/2011 को सौदे वाली भूमि जिसके उत्तर में-मदरशा गोंड, दक्षिण में-सहखातेदारों की भूमि, पूर्व एवं पश्चिम में-वादीगण की भूमि स्थित है तथा साथ ही भूमि में स्थित कुंआ में 1/4 का रिजस्टर बैनामा कर वादीगण को कब्जा सौपा गया है। दिनांक 4.03.11 से वादीगण ख0नं0 666/1 रकबा 0.694 भूमि मौजा बारंगवाड़ी, तह0 आमला में से उत्तर दिशा में 0.405 हे0 भूमि जिससे आगे विवादित भूमि कहा जायेगा कि स्वामी होकर खरीदी दिनांक से सत्त कब्जे में होकर फसल प्राप्त करते चले आ रहे तथा वर्तमान में वादीगण की ओर से वादी कं0-2 विवादित भूमि की कास्त कर फसल प्राप्त कर रहे है।

3— आगे वादीगण ने अपने आवेदन में बताया है कि प्रतिवादी कं0—1 द्वारा खसरा नं 666 / 1 रकबा 0.694 तथा 669 / 1 रकबा 0.925 हे0 कुल रकबा 1.619 भूमि मौजा बारंगवाड़ी की सम्पूर्ण भूमि का सीमांकन करने के दरम्यान वादीगण को उक्त सम्पूर्ण भूमि के राजस्व अभिलेख मे प्रतिवादी कं0—1 का नार्म दर्ज हुई जिस संबंध वादी कं0—1 द्वारा उसके द्वारा क्य की गई विवादित भूमि के दस्तावेज राजस्व अधिकारियों को दिये, वादी द्वारा खरीदी गई विवादित भूमि तथा उनके कब्जे की जानकारी प्रतिवादी कं0—1 से खरीदी दिनांक से है। वादीगण द्वारा क्य की गई विवादित भूमि के कब्जे में होने की जानकारी होने बावजुद प्रतिवादी कं0—1 द्वारा राजस्व अभिलेख में छुटे तथ्यों ने उनका नाम दर्ज कराकर सीमांकन कर न्यायालय तहसीलदार द्वारा धारा—250 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रकरण प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण में वादीगण द्वारा विवादित भूमि का रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 4.03.11 प्रस्तुत किया तथा कब्जे के संबंध में फसल प्राप्त करने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत की गई, परन्तु तहसीदार द्वारा दिनांक 28.01.15 को खसरा नं 666 / 1 रकबा 0.694 तथा 679 / 1 रकबा 0.925 हे0 कुल रकबा 1.619 की सम्पूर्ण भूमि के संबंध में आदेश पारित कर वादीगण का मात्र राजस्व अभिलेख में नाम न होने के आधार पर

वादी कं0—2 का अप्राधिकृत कब्जा होने का निर्णय लेकर बेदखल किये जाने का निर्देश दिया है आदेश के तहत प्रतिवादीगण, वादीगणों को कभी भी उनके स्वत्व, स्वामित्व एवं कब्जे की विवादित भूमि से बेदखल कर सकते है। ऐसी स्थिति में आवेदकगण को अपूर्णीय क्षति होगी।

4— आवेदकगण विधिक भूस्वामी कर्रेबाई से दिनांक 04/03/2011 के रिजस्टर्ड बैनामें के जिरये विवादित भूमि खरीदकर खरीदी दिनांक से सत्त कब्जे में होकर फसल प्राप्त कर करते चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी आवेदकगण विवादित भूमि के विधिक आधिपत्य में होने से सुविधा का संतुलन भी आवेदकगण के पक्ष में है। आवेदकगण रिजस्टी दिनांक 04/03/11 से विवादित भूमि के विधिवत् भूमिस्वामी होकर खरीदी दिनांक से सत्त कब्जे में होकर फसल प्राप्त करते चले आ रहे है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला आवेदकगण के पक्ष में है। अतः आवेदकगण के विधिक आधिपत्य में दखल या हस्तक्षेप करने से अनावेदकगण को अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा रोका जाना आवश्यक है। उक्त आधारों पर आवेदन स्वीकार किए जाने का निवेदन किया है।

प्रतिवादी कृं. 1 ने वादीगण के आवेदन का जवाब पेश कर विरोध प्रगट कर अपने जवाब में व्यक्त किया है कि वादीगण द्वारा प्रस्तृत आवेदन पत्र में वाद पत्र के अभिवचनों को पढ़े जाने के संबंध में व्यवहार प्रक्रिया संहिता में कोई नियम नहीं है इसलिए आवेदन पत्र के साथ वादपत्र के अभिवचनों को पढे जाने एवं ग्राह्य किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। ग्राम बांरगवाडी तहसील आमला स्थित भूमि खसरा नं. 666 / 1 रकबा 0.694 हे. एवं खसरा नं. 669 / 1 रकबा 0.925 हे0 भूमि कुल रकबा 1.619 हे0 भूमि प्रतिवादी कं. 1 रूखवती पति चरणलाल के स्वत्व, एवं स्वामित्व की भूमि है, जो कि रूखवती द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से खरीदी गई है। सीमांकन कराकर न्यायालय तहसीलदार आमला के समक्ष धारा २५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रकरण प्रस्तुत किया। तहसीलदार आमला द्वारा पारित आदेश दिनांक 26/01/2016 का न होकर 28/01/2016 का है एवं तहसीलदार द्वारा पारित उक्त आदेश की सत्यप्रतिलिपि न्यायालय के समक्ष अभिलेख पर है जिसमें कि यह स्पष्ट है कि किस खसरा नं0 की कितनी भूमि पर किस व्यक्ति का अप्राधिकृत कब्जा है। न्यायालय स्वयं तहसीलदार द्वारा पारित उक्त आदेश का अवलोकन कर सकते है जिससे कि संपूर्ण वस्तू स्थिति स्पष्ट हो जायेगी कि वादीपक्ष की ओर से कंडिका कुं 5 में वर्णित कथन किस तरह से भ्रामक, अस्पष्ट एवं अधूरे है।

6— आगे प्रतिवादी ने अपने जवाब में बताया है कि विवादित भूमि प्रतिवादी कं. 1 रूखवती द्वारा रिजस्टी के माध्यम से खरीदी गई है। राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी कं. 1 रूखवती का नाम विवादित भूमि पर भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है।

विवादित भूमि पर प्रतिवादी कं. 1 रूखवती का स्वत्व एवं स्वामित्व है। वादीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन नहीं है अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु भी वादीगण के पक्ष में नहीं है। प्रथम दृष्ट्या मामला भी वादीगण के पक्ष में नहीं है। उक्त संबंध में कथन है कि तहसीलदार आमला द्वारा राजस्व मामला कं. 8 अ / 70 वर्ष 2011—12 में पारित आदेश दिनांक 28 / 01 / 2016 अवलोकनीय है जिसमें कि वादी बिहारी के अवैध कब्जे का उल्लेख है। यह भी उल्लेख है कि खसरा नं. 664 / 1 के संपूर्ण रकबे 0.694 हे0 भूमि पर वादी बिहारी द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। वादी बिहारी की उक्त भूमि पर कब्जे का कोई वैधानिक आधार नहीं है।

7— प्रतिवादी ने अपने विशेष कथन में बताया है कि विवादित भूमि प्रतिवादी कं. 1 रूखवती द्वारा रिजस्टी दिनांक 11/01/2011 के आधार पर खरीदी गई है उक्त रिजस्टी वादीगण की रिजस्टी से पहले की तारिख की है, जो कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। उक्त रिजस्टी के आधार पर राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी कं 1 रूखवती का नामांतरण दर्ज किया गया है एवं रूखवती उक्त भूमि की रिजस्टी के आधार पर स्वत्वधारी है। जब प्रतिवादी कं 1 रूखवती द्वारा पहले ही विवादित भूमि रिजस्टी के माध्यम से खरीदी ली गई थी एवं उक्त तथ्य की संपूर्ण जानकारी वादीगण को थी, तब ऐसी स्थिति में वादीगण को फर्जी रिजस्टी के आधार पर विवादित जमीन नहीं खरीदनी चाहिए थी। वादीगण द्वारा जान बूझकर फर्जी एवं कूटरिचत दस्तावेजों एवं रिजस्टी के आधार पर प्रतिवादी कं 1 रूखवती को, रूखवती के स्वत्व एवं स्वामित्व की जमीन से बेकब्जा एवं बेदखल किये जाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे कि रूखवती को उसके स्वामित्व की जमीन से वंचित किया जा सके। उक्त आधारों पर वादीगण का आवेदन निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

- 8— दिनांक 17/06/16 को प्रतिवादी कं0 2 एक पक्षीय किया गया है। 9— अस्थाई निषेधाज्ञा के निराकरण के आवेदन में निम्नलिखित 3 बिन्दु मुख्य रूप से विचारणीय है:—
  - 1. क्या प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में है ?
  - 2. क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में है ?
  - 3. क्या यदि वादीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान न की गई तो उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी?

## प्रथम दृष्टया मामला

10— वादीगण ने प्रतिवादी कं. 1 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया है कि प्रतिवादी कं 1 विवादित भूमि में प्रकरण के निराकरण तक स्वयं या अन्य के द्वारा वादीगण को विवादित भूमि के कब्जे से बेदखल या कब्जे में हस्तक्षेप न करें। उक्त आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा के निराकरण के लिए सर्वप्रथम यह देखा जाना होगा कि क्या वादीगण के हित व कब्जे की भूमि है।

वादीगण ने अपने आवेदन में बताया है कि दिनांक 4.03.11 से वादीगण ख0नं0 666/1 रकबा 0.694 भूमि मौजा बारंगवाडी, तह0 आमला में से उत्तर दिशा में 0.405 हे भूमि जिससे आगे विवादित भूमि कहा जायेगा कि स्वामी होकर खरीदी दिनांक से सतत् कब्जे में होकर फसल प्राप्त करते चले आ रहे तथा वर्तमान में वादीगण की ओर से वादी कं0—2 विवादित भूमि की कास्त कर फसल प्राप्त कर रहे है। इसके विपरित प्रतिवादी कं 1 ने अपने जवाब में व्यक्त किया है कि ग्राम बारंगवाडी, तहसील आमला स्थित भूमि खसरा नं. 666/1 रकबा 694 हे0 एवं खसरा नं0 669/1 रकबा 0.925 हे0 भूमि कुल रकबा 1.619 हे0 भूमि प्रतिवादी कं 1 रूखवती पति चरणलाल के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है, जो कि रूखवती के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से खरीदी गई है। इस प्रकार वादीगण के आवेदन एवं प्रतिवादी कं. 1 के जवाब से यह स्पष्ट नहीं है कि वादीगण विवादित भि पर हित है।

वादीगण ने अपने समर्थन में रिजस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 4 मार्च 2011 का प्रस्तृत किया है। जिसमें विकेता श्रीमित करेंबाई तथा केता रामकली पति बिहारी, शिवजी के द्वारा क्रय किया गया है। साथ ही वादीगण के द्वारा अपने समर्थन में किश्तबंदी, खसरा वर्ष 2010–11 का प्रस्तृत किया है जिसमें बबली, सुक्का, सुनिया पिता शंकर करें बेवा शंकर का नाम संयुक्त रूप से दर्ज है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि विकेता कर्रेबाई की पुत्री बबली, बुग्गी, सुनिया ना बालिक वली माँ करें का नाम का उल्लेख है जो कि विवादित भूमि बबली, बुग्गी, सुनिया का भिम स्वामी होना स्पष्ट रूप से दर्शित है। साथ ही नाबालिक का नाम दर्ज है। ऐसी परिस्थिति में विवादित भूमि को श्रीमित कर्रेबाई विक्रय नहीं कर सकती यदि विक्रय किया भी किया गया है तो वह विधि संगत विक्रय नहीं माना जायेगा। साथ ही वादीगण के द्वारा अपने वाद पत्र में विवादित भूमि शंकर की बताया है। उक्त संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उत्तराधिकार में नाबालिक बबली, बुग्गी, सुनिया वली मां करेंबाई को प्राप्त हुई है। जबिक प्रतिवादी ने अपने समर्थन में रिजस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29 / 12 / 16 का प्रस्तुत किया है जिसमें बबली पिता शंकर, सूग्गा उर्फ रूक्खा पिता शंकर सुनिया उर्फ सुनिता पिता शंकर के द्वारा विक्रय केता रूखवती के पक्ष में निष्पादित किया गया है जिसमें विवादित भूमि खसरा नं. 666/1 रकबा 0.694 हे0 खसरा नं. 669 / 1 रकबा 0.925 हे0 भूमि क्य की गई है और कब्जा भी प्राप्त किया

है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज में विवादित भूमि पर सुनिया, सुग्गा, बबली का नाम भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है जिसका रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से प्रतिवादी कं 1 रूखवती के द्वारा विवादित भूमि क्रय की गई है और कब्जा भी प्राप्त किया गया है। उक्त परिस्थिति में प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के विरूद्ध निराकृत किया जाता है।

## सुविधा का संतूलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिंदू

14— विचारणीय प्रश्न कं 1 से यह स्पष्ट हो चुका है कि वादीगण का विवादित भूमि का हित नहीं है। यदि वादीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रतिवादीगण को विवादित भूमि के उपयोग व उपभोग से वंचित होना पड़ेगा और जिससे प्रतिवादीगण को अपूर्णीय क्षति व असुविधा होगी जिसकी पूर्ति धन से नहीं की जा सकती। इस प्रकार सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी वादीगण के विरुद्ध निराकृत किया जाता है।

15— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का बिंदू भी वादीगण के विरूद्ध निराकृत किया गया है। ऐसी परिस्थिति में वादीगण की ओर से प्रस्तुत आदेश 39 नियम 1 व 2 सिविल प्रक्रिया संहिता. 1908 का आवेदन स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर पारित किया गया। मेरे निर्देशन पर कम्प्यूटर पर टंकित किया गया।

(धनकुमार कुडोपा) सिविल न्यायाधीश वर्ग—2 आमला जिला बैतूल म.प्र. (धनकुमार कुडोपा) सिविल न्यायाधीश वर्ग–2 आमला जिला बैतूल म.प्र.